राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

क्रमांक :–एफ.8( )विविध/सामान्य/सान्याअवि/2019/ 20778 जयपुर, दिनांक 20/3/2020

आदेश

राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त शेष विभागों में कोरोना वायरस से आमजन की सुरक्षा की दृष्टिगत श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 19.03.2020 की अनुपालना में 31 मार्च, 2020 तक विभाग के 50 प्रतिशत कार्मिक को कार्यालयों में उपस्थिति देने एवं 50 प्रतिशत कार्मिको को घर पर रहकर ड्यूटी/फील्ड ड्यूटि हेतु उपलब्ध रहने/ राजकीय कार्य करने (work from home) सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये है।

उक्त के क्रम में निदेशालय विशेष योग्यजन एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31 मार्च तक निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए प्रतिदिन रोस्टरवार राजकीय कार्य दिवस में अपने स्तर पर अपने कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित दिलवाने एवं 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से कार्य (work from home) करवाना सुनिश्चित करेंगें।

जिलाधिकारी/संस्था प्रभारी/अधीक्षक, होम्स अपने स्तर से डयूटी आदेश जारी कर कार्मिकों की डयूटी दिनांक 31 मार्च तक निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए प्रतिदिन रोस्टरवार राजकीय कार्य दिवस में अपने स्तर पर अपने कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित दिलवाने एवं 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से कार्य (work from home) करवाना सुनिश्चित करेंगें।

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा (31 मार्च, 2020) तक समस्त कार्मिक कार्यालय मुख्यावास नही छोड़ेंगे। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश स्वीकृत नही किये जायेंगे, अत्यावशक परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के अवकाश स्वीकृत बिना कोई भी अवकाश पर नहीं रहेंगे।
2. समस्त कार्मिकों को आवंटित कार्य का समय पर निष्पादन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी।
3. घर से कार्य करने वाले 50 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा अगले दिन कार्यालय में उपस्थित होकर घर से किये गये राजकीय कार्य/ऑनलाईन कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, घर से कार्य नही किए जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का उक्त दिवस का आकस्मिक अवकाश (CL) संगणित किया जायेगा।

घर पर रहकर कार्य करने के दौरान कार्मिकों द्वारा अपना मोबाईल स्विच ऑन रखना अनिवार्य है।

4. घर पर रहकर कार्य करने के दौरान कार्मिक कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त उपाय अपनायेंगे एवं प्रातः 07.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक अनावश्यक बाहर घूमने–फिरने का कार्य नही करेंगे। यदि कोई कार्मिक उक्त अवधि में अनावश्यकरूप से घर से बाहर घूमता–फिरता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उक्त आदेश राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों/ आदेशों के अध्यधीन रहेंगे।
6. किसी भी कार्मिक को सम्बन्धित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य के निष्पादन के लिए कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।
7. उपरोक्त व्यवस्था सहायक निदेशक/जिला स्तरीय अधिकारियों या उससे उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नही होगी। उन्हे निश्चित रूप से निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पदस्थापित कार्मिकों का तिथिवार डयूटी विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	**दिनांक 23, 26, 30 मार्च 2020 को कार्यालय में आने वाले कार्मिक**	क्र.सं.	**दिनांक 24, 27, 31 मार्च 2020 को कार्यालय में आने वाले कार्मिक**
1	श्री रमेश चन्द मीणा, स.प्र.अ.	1	श्री सतीश तैलंग, निजी सचिव
2	श्री कैलाश चन्द मौर्य, व.स.	2	श्री मुकेश मेहरा वरिष्ठ सहायक (विधानसभा)
3	श्रीमती कल्पना चौधरी, सू.स.	3	श्री हरि लाल प्रजापति प्र.अधिकारी
4	श्रीमती पार्वती देवी, च.श्रे.क.	4	श्रीमती कमला मीणा, च.श्रे.क.
5	श्रीमती रुकमणी देवी/दिलीप, च.श्रे.क.	5	श्री हरि नारायण जाट, स.ले.अधिकारी
6	श्री कमलेश मीणा, स.सां.अधिकारी	6	श्री जय सिंह टाक, स.सा.अधिकारी
7	श्री शिव राम मीणा, कनिष्ठ सहायक	7	श्री चतुर्भुज सिंह, स.सां.अधिकारी
8	श्री अनिल कुमार लढढा, स. ले.अधिकारी	8	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रोग्रामर
9	श्री संजय कुमार शर्मा, स.प्र.अ.	9	श्रीमती ईशिता पारीक, सू. सहायक
10	सुश्री सोना कुमार, क. लेखाकार	10	श्री शंकर लाल मीणा, स. लेखाधिकारी
11	सुश्री आरती सोनी, क.लेखाकार	11	श्री प्रमोद कुमार जैन, व.लि. सहायक
12	श्रीमती ज्योति भारद्वाज, सू. सहायक	12	श्रीमती सतुति गोस्वामी, क.लेखाकार
13	श्री मोहन कुमार, कनिष्ठ सहायक	13	श्रीमती संगीता निठारवाल, क. लेखाकार
14	श्रीमती शान्ति देवी, च.श्रे.क.	14	श्री मो. शब्बीर, कनिष्ठ सहायक
15	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता. स.प्र.अधिकारी	15	श्री भौरी लाल मीणा, च.श्रे.क.
16	श्रीमती वसुन्धरा पटवा, सूचना सहायक	16	श्री गोविन्द नारायण शर्मा, कैशिवर
17	श्री राम नारायण बैरवा, स.प्र.अधिकारी	17	श्री कैलाश नवल, निजी सचिव
18	श्री मोहन लाल सैनी, स.प्र.अ.	18	श्री नीतिन जैन, क. सहायक
19	श्री मोहन लाल चौधरी, सू. सहायक	19	श्री रामजी लाल शर्मा, च.श्रे.क.

20	श्री ओम प्रकाश, च.श्रे.क.	20	श्री मोती सिंह, च.श्रे.क.
21	श्री रजनीकान्त, च.श्रे.क.	21	श्रीमती मीना साहनी, अ.प्र.अ.
22	श्रीमती अनिता शर्मा, व.नि. सहायक	22	श्री हर सहाय कोली, च.श्र.क.
23	श्री बाबू लाल मीणा, क. लेखाकार	23	श्रीमती ज्योति अरोडा, प्रोग्रामर
24	श्रीमती अभिलाषा बेनीवाल, क. लेखाकार	24	श्री रिंकू यादव, कनिष्ठ सहायक
25	सुश्री अलका मीणा,क. लेखाकार	25	श्रीमती संगीता मीना, क. लेखाकार
26	श्री मनीष वर्मा,क. लेखाकार	26	श्रीमती सरिता सैनी, क. लेखाकार
27	श्री अन्सार अहमद, च.श्रे.क.	27	श्रीमती पारुल शर्मा, सूचना सहायक
28	श्री शशिकान्त सिंह, व.स.	28	श्रीमती रुपा देवी, च.श्र.कर्मचारी
29	श्री कैलाश चन्द वर्मा, च.श्रे.क.	29	श्री अजय कुमार सैनी, स.ले.अधिकारी
30	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा.अ.प्र.अ. स्टोर कीपर	30	सुश्री मधु अग्रवाल, सूचना सहायक
31	श्री अनिल शर्मा स.प्र.अ. केयर टेकर	31	श्रीमती एकता कटेवा, क. लेखाकार
32	श्रीमती अर्पणा चौधरी स.प्र. अधिकारी	32	श्री राम किशन मीणा, च.श्रे.क.
33	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, स.प्र.अधिकारी	33	श्री प्रवीण कुमार शर्मा.अ.प्र.अ.
34	श्रीमती मधुबाला शर्मा स.प्र.अधिकारी	34	श्री पूरण मल मीणा, व.स.
35	श्री संजय वर्मा स. प्रशासनिक अधिकारी	35	श्री पुष्पेन्द्र गौतम, क.सहायक
36	श्री देवानन्द टेलर, स.प्र.अ.	36	श्री अजय कुमार वर्मा, क. सहायक
37	श्री रामस्वरूप टिंकर, स.प्र.अ.	37	श्रीमती लक्ष्मा देवी, क. सहायक
38	श्री मनोज शर्मा, क.सहायक	38	श्री राजेश कुमार मीणा, क.सहायक
39	श्री प्रेम चन्द बैरवा. व.स.	39	आलोक सक्सेना, व. सहायक
40	श्री शिव शंकर शर्मा कनिष्ठ सहायक	40	श्रीमती संगीता वर्मा, च.श्रे.कर्मचारी
41	श्रीमती नेहा अग्रवाल, सूचना सहायक	41	श्रीमती ललिता बेन शर्मा, क.सहायक
42	श्री जय नारायण वर्मा, क. सहायक	42	श्रीमती मंजु शर्मा, चे.श्रे.क.
43	सुश्री सरोज, सूचना सहायक	43	श्रीमती हर्षिता स्वणकार, क.लेखाकार
44	श्री अशोक कुमार आर्य, क.सहायक	44	श्री मांगू राम, स. लेखाधिकारी–द्वितीय
45	श्री महावीर शर्मा, व.सहायक	45	श्री सरदार मीणा, स.प्र.अ.
46	श्रीमती रेणू वर्मा, स.प्र.अधिकारी	46	श्री प्रमोद नेमीवाल, स.प्र.अ.
47	कमला गुर्जर, च.श्रे.कर्मचारी	47	श्री गुलाब चन्द रैगर, स.सां.अधिकारी
48	श्रीमती मीनू वर्मा, क.लेखाकार	48	श्रीमती विमला देवी, च.श्रे.क.
49	श्री शिव लहरी शर्मा, संस्थापन अधिकारी	49	श्री रमेश भटेश्वर, व. सहायक
50	श्री कपील देव, तकनिकी विशेषज्ञ	50	सुश्री ज्योति स्वर्णकार, क. लेखाकार
51	श्री राजेन्द्र शर्मा अति. प्रशा अधि.	51	श्री नीरज प्रजापति तकनिकी विशेषज्ञ यूनीसेफ
52	सुनील कुमार मेंधवाल	52	श्री प्रकाश शर्मा, स.लेखअधिकारी–1
53	श्रीमती रेखा गार्गिया, सू. सहायक	53	श्री खुशी राम जाट, क. सहायक
54	श्री राजीव सक्सैना, स.प्र.अधिकारी	54	श्रीमती गुडडी बाई मीणा, क. लेखाकार
55	श्री भगवाना राम चौपडा, स.प्र.अधिकारी	55	श्रीमती रुकमणी / बाबू लाल
56	श्री कजोड मल शर्मा, व.सहायक	56	श्री राजेन्द्र चौहान, स.प्र. अधिकारी
57	श्रीमती कविता बैरवा, क. लेखाकार	57	श्री सुरेश शर्मा, क. सहायक

58	सुश्री सुमनलता शर्मा, स.प्र.अधिकारी	58	श्री बिहारी लाल, क. लेखाकार
59	श्रीमती महिमा जोशी, सु.सहायक	59	श्री प्रशान्त गोयल, सहायक ले. अधिकारी
60	श्री प्रकाश जांगिड, च.श्रे.क.	60	श्रीमती रमा देवी, च.श्रे.क.
61	श्री राम किशन मीणा, च.श्रे.क.	61	श्रीमती मनोरमा जांगिड, सू. सहायक
62	श्री राम प्रसाद कीर, च.श्रे.क.	62	श्री देवी लाल, च.श्रे..क.
63	श्री विनोद प्रतिहस्त, च.श्रे.क.	63	श्री राज राजेश्वर पारीक, अ.नि. सचिव
64	श्री दीपक हरितवाल, प्रोग्रामर	64	श्री मुकेश राय, च.श्रे..क
65	सुश्री जुही शर्मा, सूचना सहायक	65	श्री हरफूलसिंह, च.श्रे.क.
66	श्री सुनिल सैन, च.श्रे.कर्मचारी	66	श्रीमती रेखा सैन,च.श्रे.क.
67	श्री विकास काला, ल.लेखाकार	67	श्री अंकेश सक्सैना, निजी सहायक
68	श्री हेमन्त सैन, सूचना सहायक	68	श्रीमती बीना अग्रवाल, स. प्र. अधिकारी
69	श्री गौरव चिराक, क. सहायक	69	श्री नितेश कुमार सैनी कनिष्ठ सहायक
70	श्री राकेश प्रजापत, च.श्रे.क.	70	श्री रविन्द्र सिंह सहायक प्र. अधिकारी
71	श्री हरिप्रसाद जाट, स.ले.अ.	71	श्री जगदीश कुमार शर्मा, स.प्र.अ.
72	श्री रवि कुमार, क. लेखाकार	72	श्रीमती करूणा पारीक, व.लि.
		73	श्रीमती लीला शर्मा, स.प्र.अ.
		74	श्री वरुण सिंह तोमर, व.स.
		75	श्रीमती एकता कटेवा, क. लेखाकार
		76	श्री दीपक यादव, च.श्रे.क.
		77	श्री दिनेश कुमार, च.श्र.क.

20-03-2020

(नन्नूमल पहाडिया)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक :–एफ.8( )विविध/सामान्य/सान्याअवि/2020/ 20779-937 **जयपुर, दिनांक** 20-3-2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सान्याअवि
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
3. समस्त प्रभारी अधिकारियों को संलग्न आदेश की पालनार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी,
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, मुख्यायवास को पालनार्थ।
6. संयुक्त निदेशक(आई.टी. ओ अपलोड हेतु।
7. स्टोकर कीपर/केयर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाना है कि वे मुख्यावास कार्यालय में एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट(1% Hypochlorite) के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/ आलमारियों के हत्थों, मेज, सीढियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य मुख्य रुप से स्पर्श से आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रुप से पोंछा(Mopping) लगवाने की व्यवस्था करावें।
8. आदेश पत्रावली।

20/3/20

(जय नारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक 19.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (Covid–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा अनेक प्रतिबन्धात्मक उपाय किये गये हैं। इसी क्रम में समस्त राज्य में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सभाओं, जुलूस, रैलों, सार्वजनिक एवं निजी समारोह एवं धार्मिक कार्यक्रमों में 20 या 20 से अधिक लोगों के समूह के रूप में एकत्रित होने पर दिनांक 31.03.2020 तक प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु परस्पर कम से कम सम्पर्क हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अति–आवश्यक है। उपरोक्त के क्रम में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक समझा गया है कि इस महामारी से बचाव के लिये कम से कम संख्या में लोगों का घर से बाहर निकलना हो। इस दृष्टि से राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आंशिक शट–डाउन दिनांक 31.03.2020 तक किया जावे।

इस संबंध में निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

1. समस्त राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे एवं 50 प्रतिशत कार्मिक घर पर रहेंगे। जो कार्मिक घर पर रहेंगे वे WORK FROM HOME सुनिश्चित करेंगे। चूंकि यह उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक बाहर घूमने–फिरने पर अंकुश रखेंगे, जिससे बाहरी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क कम से कम हो। कार्मिकों द्वारा अधिकाधिक कार्य को ऑन–लाईन सम्पादित करने का प्रयास किया जायेगा। घर से कार्य कर रहे ऐसे कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में कभी भी बुलाया जा सकता है अथवा अन्य कार्य आवंटित किया जा सकता है।
2. उक्त शट–डाउन सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
3. आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित निम्न विभाग एवं इनके अधीनस्थ कार्यालयों पर शट–डाउन लागू नही होगा :–

    1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
    2. चिकित्सा शिक्षा
    3. आयुर्वेद
    4. गृह विभाग – पुलिस, कारागार, गृह रक्षा एवं एकएसएल
    5. वित्त विभाग
    6. ऊर्जा विभाग मय उसके अधीन समस्त निगम
    7. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
    8. स्वायत्त शासन विभाग– नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका
    9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
    10. पंचायती राज

11. सूचना एवं प्रोद्योगिकी (DoIT)
12. कार्मिक विभाग (आवश्यक शाखाऐं)
13. परिवहन विभाग मय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य शहरी वस निगम एवं जयपुर मेट्रो
14. सामान्य प्रशासन विभाग
15. स्टेट मोटर गैराज
16. विधि विभाग
17. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

4. इसी प्रकार विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों एवं जिलाधीश कार्यालय व जिला स्तरीय अधिकारियों पर यह शट-डाउन लागू नहीं होगा।

5. यह शट-डाउन कुछ कार्यालयों जैसे – वाणिज्यिक कर, परिवहन (आरटीओ/डीटीओ), आबकारी, खनिज, पंजियन एवं मुद्रांक एवं आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली एवं पेयजल विभाग पर लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग पृथक से एडवाईजरी भी जारी करेंगे।

6. आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर किसी भी कार्यालय में सब की उपस्थिति बाबत समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

7. सचिवालय स्थित विभागों में प्रशासनिक विभाग के सचिव, विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर पर तय करेंगे कि रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहें। जिन कार्मिकों की आवश्यकता हो, उन पर WORK FROM HOME लागू नहीं किया जाये, जिससे कि आवश्यक राजकीय कार्य निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं आये।

8. इस दौरान किसी प्रकार का अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति साधारणतयाः नहीं दी जाएगी। यह फिर स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य राजकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन को सुरक्षित रखना है। अतः वे अनावश्यक घूमने-फिरने पर बंदिश रखें जिससे वे बाहर के व्यक्तियों से कम से कम सम्पर्क में आयें।

9. इस अवधि में कोरोना से सम्बन्धित एवं माननीय मुख्यमन्त्री जी के स्तर पर बैठकों के अलावा, बिना अति आवश्यक कारणों के अन्य राजकीय बैठकें स्थगित रहेंगी। बैठकों के विकल्प में आवश्यक राजकीय कार्यों को Video Conference/दूरभाष के माध्यम से सम्पादित किया जाये।

10. कम संख्या 5 में अंकित कार्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आगंतुकों पर रोक रहेगी।

उपरोक्त निर्देश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेंगे एवं इनकी सभी स्तर पर कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।

Scanned with CamScanner

3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त संभागीय आयुक्त / महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
9. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर / जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त।
11. आयुक्त, सूचना एंव जन सम्पर्क सूचना विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करावें।
12. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह